अति महत्वपूर्ण

संख्या–15525/26–3––82–11(71)-81

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर, 1982।

विषय:––स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में सघनित विकास कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि से भूमिहीन हरिजनों को आवंटन हेतु कृषि योग्य भूमि खरीदने की मूल्य सीमा रु0 10,000 तक बढ़ाना।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–4120/26–3–81, दिनांक 12 जनवरी, 1982 तथा शासकीय रेडियोग्राम संख्या–6477/26–3–82–11(71)-81, दिनांक 21 अप्रैल, 1982 का आंशिक संशोधन करते हुए तथा शासनादेश संख्या–8438/26–3––82–11(34)-82, दिनांक 16 सितम्बर, 1982, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयनित विकास खंडों में सघनित विकास कार्यक्रमों के लिये आवंटित धनराशि में से कृषि योग्य उपजाऊ भूमि खरीद कर अनुसूचित जातियों के निर्धनता रेखा से नीचे निवास कर रहे भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन किए जाने की योजना में शासन ने निम्नांकित संशोधन किए हैं:––

(1) जहां कृषि योग्य उपजाऊ भूमि रु0 5,000 प्रति एकड़ तक उपलब्ध है वहां लाभार्थी को उतनी भूमि खरीद कर आवंटित कर दी जाए जितनी रु0 5,000 में क्रय की जा सके।

(2) जहां भूमि का मूल्य रु0 5,000 प्रति एकड़ से अधिक है वहां लाभार्थी को इतनी भूमि खरीद कर दी जाए जो 10,000 रु0 में खरीदी जा सकती है।

(3) जिस लाभार्थी को 10,000 रु0 की भूमि आवंटित की जायेगी उसे भूमि का 50 प्रतिशत मूल्य अर्थात् 5,000 रु0 का शासन द्वारा ऋण दिया गया समझा जायेगा जो लाभार्थी से आवंटन के 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा परन्तु इस पर लाभार्थी से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।

(4) लाभार्थी ऋण की अदायगी की मासिक किस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के कार्यालय में भुगतान करेगा जहां से वह उक्त अधिकारी के कोषागार स्थित पी0 एल0 ए0 में जमा कर दी जायेगी। प्रत्येक लाभार्थी से प्राप्त ऋण तथा उसकी अदायगी का विधिवत् लेखा रजिस्टर अलग रक्खा जायेगा।

(5) रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्ति हेतु समस्त भूमि की खरीद श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, के नाम में की जायेगी और गवर्मेंट्स ग्रान्ट ऐक्ट के अन्तर्गत इस शर्त पर आवंटित की जायगी की आवंटी को किसी भी दशा में उस भूमि को बेचने अथवा अन्यथा हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा। रु0 10,000 मूल्य की भूमि के पट्टों में रु0 5,000 के ऋण की अदायगी की शर्त और उसके लिये आवंटी की सहमति स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी।

(6) प्रत्येक आवंटन विलेख में यह बात भी स्पष्ट कर दी जायेगी कि "इस विलेख में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, आवंटक को सर्वदा यह अधिकार होगा कि यदि इस बात का साक्ष्य मिले कि आवंटी अनुसूचित जाति का नहीं है अथवा आवंटन के पूर्व उसके परिवार के समस्त सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय रु0 3,500 से अधिक थी अथवा आवंटी के पास आवटन के पूर्व कोई कृषि योग्य भूमि थी अथवा उसने इस विलेख द्वारा आवंटित भूमि को किसी व्यक्ति को किराये पर उठा दिया है अथवा अन्यथा हस्तांतरित कर दिया है तो इस बात के बावजूद कि आवंटी ने भूमि का आधा मूल्य अदा कर दिया है, वह आवंटन को निरस्त कर दें और आवंटी अथवा उसकी ओर से भूमि के काबिज प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दे अथवा करा दे।

(7) यदि अनुसूचित जाति का कोई सम्पन्न खातेदार इस प्रयोजन हेतु शासन को अपनी भूमि बेचना चाहता है और वह इस हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157-क के अन्तर्गत जिलाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भूमि क्रय किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

2—अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश अविलम्ब जारी करने की कृपा करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृ0 सं0-15525(1)/26-3—82-11(71)-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।